न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 85/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

गुरसाहिब सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखपाल कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अमनदीप कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 22.3.2024

वादी गुरसाहिब सिंह ने प्रतिवादीगण गुरदेव सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादी की बहिने है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 41/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.391 है. कृषि भूमि तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से चक 11 बी. जी.पी. के खाता सं. 15/12 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.441 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की धारा सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की सं... विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से ... परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:27:27
Reason: Self Attested
Web Copy - Not Official

में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया क्योकि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. में प्राप्ता कर ली तथा प्रतिवादीया सं. 2 व 3 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:–

वादी गुरसाहिब सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:–

तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 41/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.391 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/12 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.441 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण [illegible] तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश [illegible] जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 का [illegible] स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 41/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 तथा चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/12 जमाबन्दी सम्वत्

लगातार ––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:27 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 41/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.391 है. कृषि भूमि तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से चक 11 बी. जी.पी. के खाता सं. 15/12 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.441 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 41/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.391 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/12 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.441 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

लगातार --4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:27:
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.3.२०२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 85/2024

गुरसाहिब सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुखपाल कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

अमनदीप कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 22.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 41/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.391 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/12 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.441 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X......... निल ......X....... मुब्लिक ......X......... मिजान ......X.........

निल......X....... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 22.3.2024 को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत के आज दिनांक .... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:27 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Web Copy - Not Official